

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-16-2-17

संख्या -3/एम-75/2008 सां०.....1823...../ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, 'बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976' में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जाएगी।

(2) यह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर प्रभावी होगी, जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमावली बनाने की शक्तियों के अधधीन हो।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-4 का प्रतिस्थापन :- उक्त नियमावली, 1976 के नियम- 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"4 - मादक पेयों और औषधों का उपभोग :- कोई सरकारी सेवक मादक पेय या औषध का उपभोग नहीं करेगा। प्रत्येक सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध सम्बन्धी विधि का कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-75/2008 सां०.....1823...../पटना, दिनांक 16/2/2017

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-75/2008 सां०.....1823...../ पटना, दिनांक 16/2/2017

प्रतिलिपि :- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-.....16/2/2017

संख्या -3/एम-75/2008 सा०.1824...../ अधिसूचना संख्या.1823.....दिनांक.16/2/17.का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंगरेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16/2/2017
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

No. 3/M-75/2008...1824...../ In exercise of powers conferred by *proviso* to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to amend the Bihar Government Servants' Conduct Rules, 1976 -

1. Short title, extent & commencement.—

- (1) These Rules may be called the "Bihar Government Servants' Conduct (Amendment) Rules, 2017.
- (2) These Rules shall apply to every person appointed to a Civil Service or post in connection with the affairs of the State of Bihar and who are subject to the Rules making powers of the Government.
- (3) It shall come into force at once.

2. Substitution of the Rule-4 of the Bihar Government Servants' Conduct Rules, 1976-


Rule-4 in the said Rules, 1976, shall be substituted by the following :-

"4 - Consumption of intoxicating Drinks and Drugs- No Government Servant shall consume intoxicating drinks or drugs. Every Government Servant shall strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs, in force in any area in which he may happen to be for the time being."


By the order of the Governor of Bihar

16/2/2017
(Keshav Kumar Singh)
Joint Secretary to Government

ज्ञाप संख्या -3/एम-75/2008 सा०...1824.../ पटना, दिनांक 16/2/ 2017
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के
असाधारण अंक में/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र
के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-75/2008 सा०...1824.../ पटना, दिनांक 16/2/ 2017
प्रतिलिपि :- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला
पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।